

अंचल कार्यालय, महागामा

देश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 90/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति समी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री श्री. शोभा कुमारी दास को अंचल निरीक्षक श्री श्री. शोभा कुमारी दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुमुआ थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/14 दाग नं0 32 रकवा 01-00-03 किस्म 0 पाली करीम श्री श्री. शोभा कुमारी दास पिता श्री. शिवन शिवदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री श्री. शोभा कुमारी दास को दिनांक 24/7/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिस निर्गत करें।

(Signature)
24/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

24/7/16

आंकले 2 पन्नाओं में। श्री. शोभा कुमारी दास पिता श्री. शिवन शिवदास के पुत्र शोभा कुमारी दास उपाधी। इनको साक्ष के रूप में केबी/भाषा के नमूने/दुबुनगा। प्रस्तुत किया। इनको कानून की द.ल.ल द्वारा सन्तो नमूने साक्षगुला का लिया गया है। धन. दुबुनगा के लिये अनुवाद & निष्पत्ती करवाये। सन्तो को लेने निदेशन को। धन. आंकले 2 पन्नाओं 11/8/16 को रखें।

(Signature)
शोभा कुमारी दास



(Signature)
24/7/16
30/31

sandha

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित

कलना देवी w/o शंभुदास श्रमिक अधिकार
के साथ उपस्थित महागाव दाखिल वले हे लक्ष्य ही
गांव की गरी अगली तिथि 26.8.16 निर्धारित की गयी है।

11/8/16

31/7/2020

अभिलेख उपस्थापित
नोटिस निर्गम करें।

कै० अ०
महागाव

05/01/2021

अभिलेख उपस्थापित
राजस्व उपनिरीक्षक - लह. प्रचारी अंचल निरीक्षक
महागाव हे प्रदंगर भूमि का भौतिक प्रतिवेदन
प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया।
प्रतिवेदनसुधार अवैद्य संदेशपत्र पंजी-11 हेतु
को संकल्पन पराधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में
उक्त भूमि ~~अंतर्गत~~ ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के
अंतर्गत है।

~~लेखापति~~
~~अंतर्गत~~
महागाव

अंचल निरीक्षक
महागाव

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 90/2016-17 दोलख शिवदास पिता-
शिवदास शिवदास, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या
90/2016-17 दोलख शिवदास पिता-शिवदास शिवदास, का जांच
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना
नं0-692 के गैरमजरूआ खाता सं0-24/..... के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा
01-00-03 घूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल
पदाधिकारी, गोडडा के R.E.R. केश नं0-47/1957-58 के माध्यम से
दोलख शिवदास पिता-शिवदास शिवदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमावंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

